Sl. No.	Nationality	Arrival
140.	U.S.S.R.	8300
141.	U.A.R.	1079
142.	U.A.E.	16100
143.	Uruguay	105
144.	Vatican	28
145.	Venezula	504
146.	Vietnam	127
147.	West Samoa	6
148.	Yeman	1771
149.	Yugoslavia	2377
150.	Zambia	863
151.	Zaire	123
		587782

आगरा, एटा और मैनपुरी को पिछड़े जिले घोषित करना

5255. **श्री राजेश कुमार सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सिफारिश की है कि आगरा, एटा और मैनपुरी जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले घोषित किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) अगस्त, 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना आयोग को केन्द्रीय राज सहायता के लिए पहले से पता लगाए गए 6 जिलों के स्थान पर 128 खण्डों का पता लगाने हेतु एक प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में एटा जिले के 3 खण्ड नामतः कासगंज, एटा, जलेसर तथा मैनपुरी जिले के 3 खण्ड नामतः मैनपुरी, शिकोहाबाद, बेवाड़ (भोगांव) शामिल हैं। आगरा जिले के किसी खण्ड का प्रस्ताव नहीं किया गया था।

(ख) भारत सरकार ने पिछड़ेपन की समस्या पर विचार करने के लिए योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य श्री वी० शिवारमन की अध्यक्षता में पिछड़े क्षेत्रों के विकास से संबंधित एक राष्ट्रीय समिति गठित की है, पिछड़े क्षेत्रों की विद्यमान सूची में कोई परिवर्तन या संशोधन इस समिति द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट जो सरकार को इस वर्ष के अंत तक मिल जाने की संभावना है, की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।

Creation of Indian Service of Engineers

5256. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Rajya Sabha in 1961 passed a Resolution to create Indian Service of Engineers;

(b) if so, at what stage this resolution and its implementation is pending, and the reasons for delay; and

(c) whether Government propose to take immediate steps to implement the resolution to create 'Indian Service of Engineers'?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): (a) to (c). The Rajya Sabha passed a Resolution in 1961 for the creation, among others, of the Indian Service of Engineers (Irrigation, Power, Buildings and Roads). In pursuance thereof, the All India Services Act, 1951 was amended in 1963 to provide for the constitution, among others, of the Indian Service of Engineers (Irrigation, Power, Buildings and Roads). The Service, however, could not be constituted because some States had expressed their disinclination to participate in it and efforts continued to persuade the dissenting Governments to agree to participate. In March, 1978, the previous Government decided that the question of constituting the cadres of this Service should not be pursued. The matter is now being reviewed and is under the active consideration of the present Government.